116

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

**रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 02/2016–17**

उर्मिला कुमारी ..... आवेदक

**बनाम**

सरकार ..... विपक्षी

**।। आदेश ।।**

**31/01/2017**

यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 02/2016–17 उर्मिला कुमारी, पति माणिक पाल, सा0 जामकान्दर, थाना शिकारीपाड़ा के आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन में कहा गया है कि वह अनुज्ञप्तिधारी जन वितरण प्रणाली दुकानदार है जिसका अनुज्ञप्ति सं0 24/2004 है। वर्ष 2009 में शिकारीपाड़ा थाना कांड सं0 101/2009 के आधार पर इनके विरूद्ध 7 ई.सी. एक्ट के अन्तर्गत जी.आर. केस नं0 1243/2009 दायर किया गया। इस वाद में आवेदिका को तीन माह का कारावास एवं 1000/– (एक हजार) रूपये का जुर्माना किया गया। इसके बाद आवेदिका की जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश सं0 31/2012 ज्ञापांक 153/अनु0आ0 दिनांक 15.02.2012 द्वारा रद्द किया गया। आवेदिका द्वारा जी.आर. केस नं0 1243/2009 में पारित आदेश के विरूद्ध में District Judge II, Dumka के न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0 71/2011 दायर किया गया। इस अपील वाद को Additional Judge, Dumka के न्यायालय में निष्पादनार्थ हस्तानान्तरण किया गया। इस अपील वाद में निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश सं0 31/2012 ज्ञापांक 153/अनु0आ0 दिनांक 15.02.2012 द्वारा रद्द किया गया अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किया जाय।

मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

निम्न न्यायालय के संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा इस संबंध में दिनांक 19.05.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को तथा दिनांक 30.08.2016 को उपायुक्त को आवेदन दी गई है। इस आवेदन को भी अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका के पत्रांक 2379/जि.ग्रा.वि.अभि. दिनांक 08.09.2016 द्वारा भेजा गया है। इन आवेदनों पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से मार्गदर्शन की मांग की गई है।

इस प्रकार उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि आवेदिका के आवेदन पर निम्न न्यायालय द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है एवं इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदिका के आवेदन पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.16 14:49:24 +05:30
Location: 169.254.227.244